नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर -6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक-नौएडा/ग्रु0हाउ0/जीएच-21 /2019/ 551

दिनांकः 18 अक्टूबर, 2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की देयता का भुगतान न कर पाने तथा इस कारण अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण अधिभोग प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके दृष्टिगत कार्यालय आदेश दिनांक 29.06.2018, यथासंशोधित दिनांक 21.02.2019 द्वारा निम्न व्यवस्था का प्राविधान किया गया थाः-

" भूखण्ड की कुल कीमत (ie; अर्थात प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर + ब्याज + तत्समय देय समयवृद्धि शुल्क) में से कुल भुगतान की जा चुकी धनराशि (ie; अर्थात प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर + ब्याज + तत्समय देय समयवृद्धि शुल्क) में से 10 प्रतिशत कटौती करके जो धनराशि शेष रहती है, उसका अनुपात (Percentage) कुल कीमत से निकाल लिया जायेगा । तत्पश्चात, कुल स्वीकृत युनिट्स में से इसी अनुपात में यूनिटो को कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करते हुये त्रिपक्षीय सबलीज-डीड करायी जायेगी।"

परन्तु उक्त व्यवस्था के उपरान्त भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि Viable है तथा उनके अधिभोग प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र भी निर्गत है परन्तु एक मुश्त धनराशि जमा न किए जाने के कारण उप पट्टा प्रलेख निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं।

उक्त समस्या के समाधान हेतु तथा प्राधिकरण की अतिदेय धनराशि को सबलीज डीड से पूर्व प्रति फ्लैटवार आगणित कर जमा कराये जाने से प्राधिकरण की देयता चुकता होने की सम्भावना के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड की 197वीं बैठक दिनांक 27.09.2019 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में आदेश निर्गत किए जाते हैं कि भूखण्ड के विरूद्ध प्राधिकरण की विभिन्न मदों (यथा प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर ब्याज सहित, तत्समय देय समयवृद्धि शुल्क के मद) में कुल देयता आगणित करते हुये उसमें 10 प्रतिशत धनराशि ओर जोड़ते हुये उस धनराशि के समानुपात प्रति फ्लैट की दर से धनराशि जमा कराये जाने पर उप पट्टा प्रलेख निष्पादन किये जाने की अनुमति 3 माह हेतु प्रदान की जाएगी। 3 माह की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः आवेदन पर अगले 3 माह के लिये गणना करते हुये तदनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण गुण दोष के आधार पर विभागीय गठित स्थाई समिति द्वारा किया जायेगा। स्थाई समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा के अनुमोदनोपरान्त अनुमति निर्गत की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

(राजेश कुमार)
विशेष कार्याधिकारी,
ग्रुप हाउसिंग

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, नौएडा।
3. महाप्रबंधक-नियोजन, नौएडा।
4. विधि सलाहकार, नौएडा।
5. सहायक महाप्रबंधक-ग्रुप हाउसिंग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्याधिकारी,
ग्रुप हाउसिंग